सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 64/2014

श्री टीलसिंह बनाम श्री हुकमा व अन्य

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए व धारा 151 जाब्ता दीवानी

आदेश दिनांक 10-07-19

प्रार्थी ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए व धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किया कि प्रार्थी ने इस न्यायालय में एक वाद वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दायर किया था एवं इस वाद के साथ ही एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 121 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी इस न्यायालय में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध दायर किया था। इस न्यायालय ने दिनांक 04.04.2007 को प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण संख्या 1 सहित अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित किया जाकर वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार से मदाखलात व मदामहात नहीं करें जिसकी जानकारी सभी अप्रार्थीगण को भली भांति रही है। सभी पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए सभी पक्षकारान की जानकारी में इस न्यायालय ने अपने अन्तिम आदेश दिनांक 14.06.2010 को यह आदेश पारित किया कि "वकुला.ए.फरी.उप.। प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षान के तर्क वितर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि इस प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2007 को विधिवत रूप से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर विवादित भूमियों की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जा चुके हैं। इन्हीं आदेशों का ता–फैसला वाद यथावत कायम रखा जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबंद किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वादपत्र की पत्रावली के सम्मिलित की जावे। उक्त आदेश की जानकारी सभी पक्षकारान को अच्छी तरह से हो चुकी है एवं उक्त आदेश आज भी प्रभावशील है। अप्रार्थीगण ने एक राय होकर दिनांक 04.04.2014 को वादग्रस्त आराजी पर निर्माणात कार्य करना चालू कर दिया जब प्रार्थी दिनांक 05.04.2014 वादग्रस्त आराजी पर हमेशा की तरह खेतों पर गया हुआ था तब अप्रार्थीगण प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी पर दीवार निर्माण का कार्य कर रहे थे व प्रार्थी को खेत पर से कब्जा छोड़ने की धमकी दी और कहा कि तू या तेरा परिवार यहा पर आ गये तो जान से मार देंगे। इस पर प्रार्थी ने न्यायालय के आदेशों की बात कही तो सभी अप्रार्थीगण एक राय होकर प्रार्थी के साथ बुरी तरह मारपीट करने पर आमादा हो गये व वादग्रस्त आराजी के काफी बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेकर पक्की दीवार का निर्माण कर दिया है और कब्जा कर लिया। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को काफी समझाया कि अभी वर्तमान में वादग्रस्त आराजी बाबत् वाद न्यायालय में विचाराधीन है वे न तो प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि से बेदखल करे व न ही प्रार्थी के उक्त भूमि के अधिकांश भाग पर कब्जा कर निर्माणात करें किन्तु वे नहीं माने एवं प्रार्थी को जानबूझकर क्षतिकारित की है एवं इस न्यायालय के आदेशों की अवमानना की है जिसके लिए उन्हें विधि अनुसार दण्डित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने थानाधिकारी जवाजा, उपखण्ड अधिकारी ब्यावर को कई मर्तबा लिखित में शिकायत पत्र देकर इन लोगों द्वारा कराये जा रहे गलत निर्माणात को रोकने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किये जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अप्रार्थीगण खुले आम कह रहे है। कि वे किसी न्यायालय के आदेश को नहीं मानेंगे एवं बकाया बची भूमि पर कब्जा करके रहेंगे। अतः निवेदन है कि बाद जांच अप्रार्थीगण को सख्त सजा से दण्डित किया जावे एवं उनकी चल व अचल सम्पत्ति कुडक की जाकर नीलाम की जावे।

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रापत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी टीलसिंह पुत्र स्व. श्री प्रेमसिंह जाति रावत के साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी के कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे।

अधिवक्ता प्रार्थी की अवमानना प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रदर्श–1 न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 19/2007 उनवान श्री टीलसिंह बनाम श्री हजारी व अन्य अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की आदेशिका प्रस्तुत की है जिसमें दिनांक 04.04.2007 को मौजा राजियावास के ख.सं. 1786 रकबा 12 बिस्वा पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसे दिनांक 14.06.2010 को ताफैसला वाद तक विवादित भूमि की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को पाबंद किया गया था जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 हजारी, हुक्मा, तेजा पिसरान कज्जा थे। प्रदर्श–2 कार्यालय पुलिस थाना जवाजा का पत्र क्रमांक 2714 दिनांक 20.06.14 की प्रमाणित प्रति है जिसमें न्यायालय के आदेशों के तहत खसरा नं. 1786, 1831/1, 1831/2 बाबत् श्री हजारीसिंह हुकमसिंह पुत्रान श्री गज्जासिंह को निर्माण नहीं किये जाने बाबत् पाबंद किया जाना अंकित है। प्रदर्श–3 पुलिस थाना जवाजा का पत्र क्रमांक 1963 दिनांक 8.5.14 जो हजारी व हुक्मसिंह पिसरान कज्जासिंह को जारी किया गया है। प्रदर्श–4 उपखण्ड अधिकारी ब्यावर को प्रस्तुत पत्र दिनांक 22.05.2014 की प्रमाणित प्रति है जिसमें प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश की पालना जरिये पुलिस करवाने बाबत् अंकित किया है। प्रदर्श–5 से 7 में निर्माण कार्य के छाया चित्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्रदर्श–8 वन डिजिटल स्टुडियों राजियावास की फोटो की भुगतान रसीद है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में यह पाया गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 तत्समय वाद में पक्षकार मुकदमा नहीं थे जिन पर किसी प्रकार को कोई अवमानना का मामला बनना नहीं पाया जाता है। वादपत्र संख्या 28/2008 उनवान श्री टीलसिंह बनाम श्री हजारी व अन्य अन्तर्गत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 04.06.2015 राजीनामें से निर्णय कि एक दूसरे को अपनी अपनी भूमियां संभलाई जाने का निर्णय पारित किया गया है। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ग्राम राजियावास के खसरा 1786 रकबा 12 बिस्वा पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, परन्तु यहां प्रस्तुत छाया चित्रों में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि प्रस्तुत छाया चित्रों में दर्शित निर्माण कार्य कौनसे खसरे में हो रहा है। उक्त प्रस्तुत थाना जवाजा की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट रूप से कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि कौनसे खसरे पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

.....लगातार

(जसवीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011–12 (सुप.) पेज 520 में स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहित 1908 आदेश 39 नियम 2 ए व आदेश 21 नियम 32 – न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971– धारा 2– आदेश 39 नियम 2 ए के अन्तर्गत कार्यवाही वाद के निस्तारण के बाद पोषणीय नहीं है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए व धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 10-07-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.07 13:42:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: